न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 59/2019
GCMS Case No. 2019/00201

सायल :– **बनाम** **गैरसायलः–**

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक पाली

श्री राजकुमार उर्फ राजु उर्फ जग्गु पुत्र रामचन्द्र जाति जटिया निवासी 123 सर्वोदय नगर पाली पुलिस थाना औ0क्षेत्र पाली जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली
गैर सायल स्वंय उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 13-4-2023

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 17.10.2019 को गैरसायल श्री राजकुमार उर्फ राजु उर्फ जग्गु पुत्र रामचन्द्र जाति जटिया निवासी 123 सर्वोदय नगर पाली पुलिस थाना औ0क्षैत्र पाली जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा **2(ख)(1)/3** के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली जिला पाली क्षैत्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2016 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में कुल 03 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। गैर सायल जुआ खेलने का आदी है तथा अन्य लोगो को भी जुआ खेलने के लिए प्रेरित करता है। गैर सायल के खिलाफ आमजन शिकायत करने से भी कतराते है। किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार होने के उपरान्त न्यायालय से जमानत पर छुटने पर यह जुआ खेलना एंव अन्य लोगो को भी जुआ खेलने के प्रेरित करता है। जिससे एक को अनुचित लाभ व अन्य को अनुचित हानि होती है। इसके कार्यकलापों की वजह से लोक व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है। गैर सायल के विरूद्ध 13 आर.पी.जी.ओ के तहत कुल 03 प्रकरण पंजीबद्ध हुए है। गैर सायल के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	मु.न.दिनांक	धारा	कोर्ट केस नम्बर	फैसला तारीख	नाम न्यायालय
1	99/10.04.2016	13 आर.पी.जी.ओ	108/16	02.05.2016	श्रीमान जेएम नं. 2 पाली
2	225/22.09.2016	13 आर.पी.जी.ओ	400/16	07.11.2016	श्रीमान जेएम नं. 2 पाली
10	158/19.07.2018	13 आर.पी.जी.ओ	288/16	16.08.2018	श्रीमान जेएम नं. 2 पाली

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित होती है कि गैरसायल श्री राजकुमार उर्फ राजु उर्फ जग्गु पुत्र रामचन्द्र जाति जटिया निवासी 123 सर्वोदय नगर पाली पुलिस थाना औ0क्षैत्र पाली जिला पाली आदतन जुआरी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जिसके आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा **2(ख)(1)/3**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली जिला पाली का अव्वल दर्जे का जुआरी है, जिसके विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 पाली 108/2016 में पारित निर्णय दिनांक 02.05.2016 को आदेश पारित करते हुए 13 आर.पी.जी.ओ के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 200/- रूपये का जुर्माने से दण्ड़ित किया गया एवं माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 पाली 288/2018 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2018 को आदेश पारित करते हुए 13 आर.पी.जी.ओ के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100/- रूपये का जुर्माने से दण्डित किया गया सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तागासा एवं दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(1)/3 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल श्री राजकुमार उर्फ राजु उर्फ जग्गु पुत्र रामचन्द्र जाति जटिया निवासी 123 सर्वोदय नगर पाली पुलिस थाना औ0क्षैत्र पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत दो माह की अवधि के लिए पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना लुणी जिला जोधपुर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 28-4-2023 से 60 दिन के लिये पुलिस थाना लुणी जिला जोधपुर में सप्ताह में एक बार अर्थात 60 दिन में 08 बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी लुणी जिला जोधपुर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल राज कुमार उर्फ राजु उर्फ जग्गु इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली जिला पाली, गैरसायल राज कुमार उर्फ राजु उर्फ जग्गु को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना लुणी जिला जोधपुर की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी लुणी जिला जोधपुर उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी औद्योगिक क्षैत्र पाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षैत्र पाली जिला पाली एवं थानाधिकारी लुणी जिला जोधपुर को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 13-4-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)